आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

16/8/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-28/2016-2017

जतरू कच्छप,.. आवेदक।

बनाम

मंगरा कच्छप,.. विपक्षी।

आदेश

आवेदक जतरू कच्छप, पिता–स्व० भोकरे उराँव, जाति–उराँव, निवासी ग्राम–मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षी मंगरा कच्छप, पिता–मुनु कच्छप, निवासी ग्राम–मधुकम, पाहन कोचा, मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
मधुकम	204	55	482	70 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में भोकरे उराँव, वो गनदु उराँव, पेशरान वुचा उराँव वगै०, कौम–उराँव, शाकिन देह के नाम दर्ज है।

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

16/8/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि वर्णित खतियान भोकरे उराँव, वगै० के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत भोकरे उराँव अपने पीछे तीन पुत्र महादेव उराँव, मंगू उराँव, और राम उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। मांगू उराँव के पुत्र भोकरे उराँव, अपने पीछे तीन पुत्र (1) जतरू कच्छप, (आवेदक) (2) राम कच्छप, (3) भरत कच्छप को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। आवेदक जतरू कच्छप खतियानी रैयत के वंशज हैं।

विपक्षी को वर्णित भूमि की नोटिस डाक के माध्यम से भेजी गयी है। विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात समाचार पत्र के माध्यम से विपक्षी को नोटिस प्रकाशित किया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात आवेदक द्वारा वाद को एकपक्षीय सुनवाई करने हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया। वाद की सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु स्वीकृत किया गया। आवेदक की ओर से एक स्वतंत्र गवाह रामनाथ उराँव, पिता–स्व० मंगरा उराँव, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिए हैं, कि वर्णित भूमि पर विपक्षी गलत तरीके से कब्जा कर लिए हैं। आवेदक स्वयं जतरू कच्छप, पिता–स्व० भोकरे उराँव, की भी गवाही हुई है जिसमें आवेदक कहते हैं कि विपक्षी द्वारा मेरे जमीन को हड़प लिया गया है। तत्पश्चात आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा कागजातों एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है और आवेदक की अपनी खतियानी भूमि है। विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी मंगरा कच्छप, पिता–मुनु कच्छप, निवासी ग्राम–मधुकम, पाहन कोचा, मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची मौजा–मधुकम, थाना संख्या–204,

16/8/24

खाता संख्या–55, प्लॉट संख्या–482, कुल रकवा–70 डिसमील पर अवैध रूप से दखलकार को बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक सहित उनके वैध वंशजों को दखल–देलानी सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

16/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 211-A दिनांकः– 16/08/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, हेहल राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

16/8/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 14:03:56 +05:30
Location: 192.168.51.130